



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-372

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312112 दिनांक 06/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Diksha Jain W/o PULKIT JAIN	श्री बाबूलाल चैधरी पुत्र श्री भूराराम	83	274.62 SQ. YARD	Private	MAHARAJA KISHAN SINGH NAGAR	Sub Division and Reconstit ution	निजी खातेदारी की आवासीय योजना महाराज किशन सिंह नगर के आवासीय भूखण्ड संख्या 83 क्षेत्रफल 274.62 वर्गमीटर की लीजडीड श्री बाबूलाल चैधरी पुत्र श्री भूराराम के नाम दिनांक 22.05.2013 को जारी की गई थी तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 274.62 वर्गमीटर में से 95.55 वर्गमीटर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 06.07.2018 को प्रहलाद नारायण माथुर पुत्र श्री गुलाब चन्द माथुर को बैचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखंड का बैचान जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से 23.01.2023 को श्रीमती दीक्षा जैन पत्नी श्री पुलकित जैन को किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा उपविभाजन हेतु आवेदन किया गया है।
---	-----------------------------------	---	----	--------------------	---------	--------------------------------------	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Diksha Jain W/o PULKIT JAIN को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।